(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1638/दो/15 विरूद्व आदेश दिनांक 19–02–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का राजस्व प्रकरण कमांक 857/अपील/13–14

भैयालाल पटेल तनय जगन्नाथ पटेल
निवासी ग्राम उंची, थाना लौर तहसील मउगंज,
जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

श्रीमती लूदी पत्नी रामसखा पटेल
निवासी ग्राम उंची, थाना लौर, तहसील मउगंज,
जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री इन्द्रमणी सिंह , अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक01/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 19–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के रा.प्र.कमांक 222/अ–74/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28–05–2014 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1995 की धारा 44 (1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज जिला रीवा के यहा अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 21–07–2014 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया

गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–02–2015 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 1300–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 09–12–13 के पालन में कार्यवाही करने के उपरांत नायब तहसीलदार ने दिनांक 28–5–2014 को नामांतरण आदेश पारित किया है। जब तक किसी न्यायालय का आदेश उसके वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता तब तक उस आदेश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार नहीं किया कि नायब तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश के कम में नामांतरण आदेश पारित किया था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अपने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के कम में किये गये कियान्वयन आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । इसी कारण अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुये निरस्त किया है और अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 19–2–2015 स्थिर रखा जाता है।

1/11/16

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर